अत्यावश्यक
नगरपालिका आम/उप-निर्वाचन,
2025

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या -न.नि. 50-28/2025 - 2300

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।
(नवादा, औरंगाबाद , शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा एवं जमुई जिला को छोड़कर)

पटना, दिनांक - 28.5.25

विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन,2025 - नाम निर्देशन के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 2271 दिनांक 26.05.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्वाचन संचालन (नाम निर्देशन आदि) के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। प्रासंगिक पत्र की कंडिका-4 के अनुसार संबंधित नगरपालिका क्षेत्र ते वार्ड पार्षद पद हेतु अन्य वार्ड का मतदाता भी नामांकन कर सकते हैं।

विदित है कि नगरपालिका उप निर्वाचन हेतु केवल रिक्त पद वाले वार्ड के निमित्त मतदाता सूची तैयार किये गये हैं। इस स्थिति में प्रायः यह प्रश्न आता है कि संबंधित नगरपालिका के अन्य वार्ड के मतदाता रिक्त पद पर नामांकन कैसे कर सकते हैं?

उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 451 में नगरपालिका के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान है कि ``राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचन नामावली या नामावलियों का उतना भाग, जो किसी नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड से संबंधित है, में जिन व्यक्तियों के नाम निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे, वे सभी व्यक्ति संबंधित नगरपालिका निर्वाचन में निर्वाचक होंगे।``

साथ ही प्रासंगिक पत्र की कंडिका -4 में उल्लेख है कि नगरपालिका के सदस्य या पदधारी के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता के संबंध में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 475 में प्रावधान किये गये हैं, जो निम्नवत् हैं :- ``ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो और जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित नहीं किया गया हो, उसे नगरपालिका के सदस्य या पदधारी के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता प्रात होगी;``

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा सम्यक विचापरान्त निदेश दिया गया है कि -

नगरपालिका उप निर्वाचन के मामले में संबंधित नगरपालिका के आम निर्वाचन के मतदाता सूची में तथा विधान सभा के वर्तमान में प्रचलित उस नगरपालिका क्षेत्र के मतदाता सूची में यदि नाम हो तो वह व्यक्ति अन्यथा

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

अयोग्य नहीं होने पर उस नगरपालिका के रिक्त वार्ड पार्षद पद पर नामांकन कर सकते हैं एवं निर्वाचित हो सकता है। नामांकन के समय निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्ति को **संबंधित नगरपालिका क्षेत्र के मतदाता सूची तथा विधान सभा के वर्तमान में प्रचलित उस नगरपालिका क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होने संबंधी प्रमाणित प्रति (Certified Copy) संलग्न करना आवश्यक होगा।**

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाये एवं तत्संबंधी निदेश से निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/- 28/5/25

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-28/2025 - 2300 पटना, दिनांक - 28.5.25

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

ह०/- 28/5/25

सचिव।

ज्ञापांक -न.नि. 50-28/2025 - 2300 पटना, दिनांक - 28.5.25

प्रतिलिपि सभी निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि पत्र में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

ह०/- 28/5/25

सचिव।

ज्ञापांक -न.नि. 50-28/2025 - 2300 पटना, दिनांक - 28.5.25

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 28/5/25

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-28/2025 - 2300 पटना, दिनांक - 28.5.25

प्रतिलिपि, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 28/5/25

सचिव।